



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271509  
CG-DL-E-02042026-271509

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1612]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1612]

NEW DELHI, WEDNESDAY APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

**का.आ. 1677(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5668 तारीख 08/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH4 के कि.मी. 189 से कि.मी. 260 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और चूंकि, उक्त अधिसूचना का सारांश "द टाइम्स ऑफ इंडिया" (अंग्रेजी दैनिक) और "विजयावाणी" (कन्नड़ दैनिक) में—दोनों दिनांक 23.12.2025 के—उक्त अधिनियम की धारा 3A के उप-खंड (3) के तहत प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH4 के कि.मी. 189 से कि.मी. 260 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: चित्रदुर्गा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चित्रदुर्गा					
गांव का नाम: मल्लापुरा					
1	116/12	निजी	एग्रीकल्चर	0.202	लक्ष्मीदेवी डबल्यू/ओ लेट दोड्डुपलैया, शमाला डी डी/ओ लेट दोड्डुपलैया, थिप्पेस्वामी डी एँसू/ओ लेट दोड्डुपलैया, महंतेश डी एँसू/ओ लेट दोड्डुपलैया 116/12
2	116/5	निजी	एग्रीकल्चर	0.0404	नागप्पा एँसू/ओ तई मलम्मा, थिप्पम्मा डबल्यू/ओ थिप्पेस्वामी, विजयाकुमारी टी डी/ओ थिप्पेस्वामी, सुनील एँसू/ओ थिप्पेस्वामी, हलप्पा एँसू/ओ तई मलम्मा, मलम्मा डबल्यू/ओ केंजडियप्पा 116/5
<b>Total</b>				<b>0.2424</b>	

[फा. सं. 3278/3A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

**S.O. 1677(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No.S.O.5668 Dated:08/12/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation

of National Highway No:48(Old NH-4) in the stretch of land from Km.189 to Km. 260 in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" English Daily and in "Vijayavani" Kannada Daily, both dated:23.12.2025, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway No:48(Old NH-4) in the stretch of land from Km.189 to Km.260 in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA.**

State: KARNATAKA			District: CHITRADURGA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Chitradurga</b>					
<b>Village: Mallapura</b>					
1	116/12	Private (Dry )	Agriculture	0.202	Lakshmid devi W/o Late Doddapalaiah, Shamala D D/o Late Doddapalaiah, Thippeswamy D S/o Late Doddapalaiah, Mahantesh D S/o Late Doddapalaiah 116/12
2	116/5	Private (Dry )	Agriculture	0.0404	Nagappa S/o Tayi Malamma, Thippamma w/o Thippeswamy, Vijayakumari T D/o Thippeswamy, Sunil S/o Thippeswamy, Halappa S/o Tayi Malamma, Malamma W/o Kenjadiyappa 116/5
<b>Total</b>				<b>0.2424</b>	

[F. No. 3278/3A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director